न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 80/2021

1 कुम्भाराम उम्र 70 साल पुत्र श्री चन्द्रा जाति जाट निवासी ग्राम पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 शीशराम ढेवा उम्र 53 साल पुत्र श्री मोहनराम ढेवा जाति जाट निवासी ग्राम पोषाणा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के प्रकरण उनवानी शीशराम बनाम कुम्भाराम आदि प्रकरण संख्या 24/2020 अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 14.09.2021 को अपास्त व निरस्त किया जाने हेतु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प: झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मदन गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 25.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा 24/2020 में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि नजरी नक्शे में दिखलाये गये क बिन्दु से खसरा नम्बर 154 से 163 व खसरा नम्बर 155 से 164 में से 12 फुट भूमि राजस्व अभिलेखो में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जावें, जिस पर सुयोग्य विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को नोटिस जारी किया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की, जिस पर माननीय न्यायालय में हाजिर आकर अपीलार्थी ने जवाब पेश किया तथा एक प्रार्थना पत्र बाबत काउन्टर क्लेम पेश किया लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं करके विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.09.2021 को आदेश पारित करके आदेशित किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पोसाना पटवारी हल्का पोसाना की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 154, 163 में आवागमन हेतु तहसीलदार, उदयपुरवाटी से दिनांक 14.09.2021 प्राप्त फर्द मौका मय नजरी नक्शा में लाल स्याही से प्रस्तावित किये गये रास्ते को राजकीय रास्ता कायम किया जाता है आवेदक उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि के बदले वर्तमान डी.एल.सी की दोगुनी राशि को तहसीलदार उदयपुरवाटी के पास जमा करवाये एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त जमा डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि को जिस खातेदारी की भूमि रास्ते में समायोजित हो रही है को नियमानुसार भुगतान करे तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करते हुये नक्शा ट्रेस में भी अंकित करे, फर्द मौका निरीक्षण दिनांक 14.09.2021 मय नजरी नक्शा इस आदेश का हिस्सा रहेगी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली द्वारा दिनांक 14.09.2021 को आदेश पारित कर भूमि खसरा नम्बर 154 से 163 में आवागमन के लिये रास्ता खसरा नम्बर 164 व 163 से रास्ता कायम करने बाबत आदेश पारित किया गया है लेकिन भूमि खसरा नम्बर 164 से 163 रास्ते की भूमि नहीं है जबकि स्वीकृत रूप से 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राजकीय रास्ते तक ही रास्ता दिया जा सकता है उक्तानुसार रास्ता चालु होना असम्भव है तथा दिनांक 14.09.2021 को आदेश पारित करने से पूर्व एक प्रार्थना पत्र बाबत काउन्टर क्लेम अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया था, जिसमें भी कोई आदेश पारित नहीं करके मनमाने रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। भूमि खसरा नम्बर 163 से पुर्व दिशा में भूमि खसरा नम्बर 162 व 159 स्थित है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के सगे भाई महावीर व रामकुंवार के नाम से है, सभी भाई शामिल में रहते है, भूमि खसरा नम्बर 159 में पूर्व दिशा की ओर से ग्राम टोडी से रास्ता आता है इस तरह से उक्त खसरा नम्बर 163 में आवागमन के लिये खसरा नम्बर 159 व 162 से रास्ता आता है वैसे भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रार्थी के भाई महावीर व रामकुंवार उसके शामिल में होने के कारण खसरा नम्बर 159, 162 व 163 तीनों भाईयों द्वारा शामलाती काश्त किया जा रहा है, वैसी भी भूमि खसरा नम्बर 163 के रास्ते बाबत प्रकरण में पेश की गई रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि भूमि खसरा नम्बर 163 में आवागमन के लिये भूमि खसरा नम्बर 161 में से रास्ता उपलब्ध है। धारा 251 ए के प्रावधान काश्त भूमि के लिए है भूमि खसरा नम्बर 163 में काश्त होना सम्भव नहीं है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह स्वीकार किया है कि भूमि खसरा नम्बर 163 में आवासीय मकानात बने हुये है, धारा 251 ए के प्रावधान आवासीय भूमि के लिए नहीं है, इसलिए आवासीय भूमि के लिये सुखाधिकार के आधार पर प्रकरण का श्रवणाधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है, सुयोग्य विचारण न्यायालय को काश्त भूमि के लिए क्लेमशुदा राश्ते बाबत विवाद का श्रवणाधिकार रखते है, आवासीय के लिए नहीं रखते है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06.01.2021 की तहसीलदार द्वारा अक्षरशः पालना नहीं करने के बावजूद मौका रिपोर्ट दिनांक 10.09.2021 के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह गलत है क्योंकि दिनांक 06.01.2021 के अनुसार रास्ते के सम्बन्ध में पक्षकारान की उपस्थिति में मोका रिपोर्ट मय नक्शा तैयार करके भिजवाई जानी थी लेकिन तहसीलदार, उदयपुरवाटी ने न तो पक्षकारान को उपस्थिति बाबत कोई नोटिस दिया और ना ही मौका रिपोर्ट के साथ कोई नक्शा तैयार किया और ना ही वैकल्पिक रास्ता जिसका विवरण अपीलान्ट द्वारा सुयोग्य विचारण न्यायालय में पेश किये गये जवाब में अंकित है के बाबत कोई जांच की है तथा मौका रिपोर्ट अपीलार्थी की अनुपस्थिति में है इस तरह से विचारण न्यायालय का निर्णय अपने आदेश दिनांक 06.01.2021 से विपरित निर्णय होने से विरोधाभाषी आदेश है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को स्वयं जाकर मौका देखने बाबत आदेशित किया गया था लेकिन उसके द्वारा मौका नहीं देखकर अपने अधिनस्थ द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है। इस तरफ से उपरोक्त मौका रिपोर्ट मौके पर तैयार नहीं करके अपने कार्यालय में बैठे बैठे तैयार की है। वैकल्पिक रास्तो का उपयोग रेस्पोडेनट संख्या 1

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अनवरत रूप से कर रहे है तथा भूमि खसरा नम्बर 163 के अन्य खातेदारान ने रास्ते बाबत कोई क्लेम नहीं किया है क्योंकि उनके पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, ना ही प्रकरण में माननीय न्यायालय में हाजिर आये है, अगर वास्तव में रास्ते की आवश्यकता होती तो यह सम्भव था कि अन्य सहखातेदारान प्रकरण में हाजिर आते, इसक बावजूद सुयोग्य विचारण न्यायालय ने मनमाना आदेश पारित किया है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि ग्राम पोसाना के भूमि खसरा नम्बर 154, 163 में आवागमन के लिए रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार उदयपुरवाटी से दिनांक 14.09.2021 को प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 163 में आवागमन के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 154, 163 में आवागमन के लिए सबसे नजदीक रास्ता को तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपनी फर्द मौका पर लाल स्याही से प्रस्तावित किया है। उक्त लाल स्याही से दर्शाए गए रास्ते के अलावा अन्य रास्ता न्यूनतम दूरी का मौजूद नहीं है। सबसे निकटतम रास्ता को तहसीलदार उदयपुरवाटी ने मौका जांच रिपोर्ट में लाल स्याही से दर्शाया है। इसके विवेचन के बाद विचारण न्यायालय ने प्रार्थी कुम्भाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काउन्टर क्लेम खारिज कर व मूल प्रार्थना पत्र 251 ए स्वीकार कर कोई गलती नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पोसाना के भूमि खसरा नम्बर 154, 163 में आवागमन के लिए रास्ता चाहा गया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने दिनांक 14.09.2021 को काउन्टर क्लेम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय की पत्रावली में अंकित आदेशिका दिनांक 14.09.2021 में विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इस विचाराधीन निर्णय में केवल मात्र एक लाईन में अपीलांट का काउंटर क्लेम खारिज करने का अंकन है। काउन्टर क्लेम के तथ्य एवं उस पर विचारण न्यायालय का कोई विवेचन विचारण न्यायालय के निर्णय में अंकित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का विधि अनुसार विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को भी विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर